उत्तराखण्ड शासन
आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01
संख्या– /XVIII-(2)/2019–12(07)/2018
देहरादूनःदिनॉक 08 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य अपनी विशिष्ट भौगोलिक एवं परिस्थितिकीय संरचना के कारण प्राकृतिक आपदाओं तथा भूकम्प की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जोन–4 एवं 5 में स्थित है व राज्य के मैदानी जनपद मानसून अवधि में बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील है। यद्यपि प्राकृतिक आपदा के न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन तथा आपदा के उपरान्त राहत कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर समय–समय पर प्रभावी कार्यवाही की जाती रही है। राज्य गठन के उपरान्त विगत वर्षो में विशेषकर मानसून अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्थानीय निवासियों, पर्यटकों, धार्मिक यात्रियों के समक्ष अनेक कठिनाई आई है तथा जन–हानि के साथ–साथ सार्वजनिक/निजी सम्पत्तियों की भी क्षति हुई है। प्राकृतिक आपदा के दौरान होने वाली घटना/क्षति में राहत वितरण/पुर्नस्थापन कार्यो के लिए भारत सरकार द्वारा जारी राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित मानकों की परिधि में ही राहत राशि स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है, किन्तु राहत हेतु मानक निर्धारित होने के कारण ऐसे तात्कालिक कार्य जो आपदा के न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन के लिए कराये जाने अपरिहार्य एवं आवश्यक हों, और जिन कार्यो को तत्काल कराये जाने से किसी बड़ी सम्भावित आपदा के न्यूनीकरण व जनधन हानि को रोका अथवा कम किया जा सकता है, को करना सम्भव नहीं हो पाता है।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन हेतु ऐसे कार्य जो राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित मानकों की परिधि में नहीं आते हैं एवं आपदा के न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन तथा जन–धन हानि की रोकथाम की दृष्टि से तात्कालिक रूप से कराये जाने अपरिहार्य हों, आपदा से सम्बन्धित ऐसे कार्यो के सम्पादन हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा–48 के अंतर्गत "राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि" का गठन किये जाने एवं इस निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो एवं धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रकिया निर्धारण की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत ऐसे कार्य सम्मिलित किये जायेगें जो राज्य आपदा मोचन निधि(एस0डी0आर0एफ0) से आच्छादित नहीं हैं तथा आपदा के न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन के लिए कराये जाने हेतु अपरिहार्य एवं आवश्यक हों और ऐसे कार्यों को तत्काल कराये जाने से किसी भी सम्भावित आपदा के न्यूनीकरण व जनधन हानि को रोका अथवा कम किया जा सकता हो। इस प्रकार के कार्य करने जाने की आवश्यकता एवं औचित्य स्थापित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी का होगा।

2) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत उपरोक्तानुसार कराये जाने वाले कार्य को किसी भी दशा में टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। इस निधि से सामान्य प्रकृति के कार्यो पर भी धनराशि व्यय नहीं की जायेगी, जो कार्य अन्य विभागीय मदों से कराये जा सकते हैं या जिन कार्यो को कराये जाने हेतु पूर्व से संसाधन उपलब्ध हैं, उन कार्यो को भी इस निधि से नहीं कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अधिक लागत के कार्य स्वीकृत नहीं किये जायेगें।

3) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से सम्बन्धित कार्यो हेतु अन्य योजनाओं से डबटेलिंग की जा सकेगी तथा कार्यो को कराये जाने हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में विहित प्रकिया का निर्धारण अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से कराये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने विषयक फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफ आवश्यक रूप से रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जायेगें। इसके अतिरिक्त कार्यो का चयन उनकी आवश्यकता, अभिलेखीकरण,

लेखांकन व लेखापरीक्षण का पूर्ण दायित्व जनपद के अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी का होगा।

5) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्य आपदा प्रबन्धन विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेगें।

6) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले उपरोक्तानुसार न्यूनीकरण कार्यो हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख तक के कार्य जनपद के अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी एवं रू0 10.00 लाख से अधिक रू0 20.00 लाख तक के कार्य हेतु मण्डल के मंडलायुक्त तथा रू0 20.00 लाख से अधिक किन्तु किसी भी दशा में रू0 25.00 लाख से अनधिक की धनराशि के कार्य के सम्बन्ध में शासन द्वारा नियमानुसार वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उक्त सीमा से अधिक के कार्य इस निधि के अंतर्गत अनुमन्य नहीं होगें।

8) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत किये जाने वाले समस्त कार्य जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय से संचालित किये जायेगें एवं पत्रावली संचालन का उत्तरदायित्व जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी का होगा। इससे सम्बन्धित समस्त कार्यो का लेखा–जोखा/accounts की व्यवस्था जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कार्यालय में की जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.पत्र. संख्या–343मतदेय/XXVII(5)/2018–19,दिनांक 27,मार्च, 2019 में दी गई सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–284 (1)/XVIII-(2)/19-12(07)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, कोलागढ़, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
5– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिव/कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
7– आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8– समस्त अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
11– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13– वित्त अनुभाग–1/5, उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड फाइल।

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव